

फैक्स/स्पीड पोस्ट

आवंटनादेश

संख्या- 6/बी3-102/2014 श्र0सं0- 10

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

निदेशक कृ०श्र०, बिहार, पटना ।
उप श्रमायुक्त, दरभंगा ।
उप श्रमायुक्त, कृ०श्र० भागलपुर ।
सहायक श्रमायुक्त कृ०श्र०, पटना/दरभंगा ।

पटना, दिनांक:- 17-3-15

विषय:- आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01 श्रम-101-औद्योगिक संबंध-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0007-कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन (विपत्र कोड-एन 2230011010007) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में चालू वित्तीय वर्ष- 2014-15 में 31 मार्च, 2015 तक व्यय के निमित्त निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है-

कार्यालय का नाम	वेतन 0101	जीवन यापन भत्ता 0103	मकान किराया भत्ता 0104	योग वेतन एवं भत्ते	दूरभाष 1303	कुल योग
निदेशक कृ०श्र०, बिहार, पटना	57000	49500	2300	108800	-	108800
उप श्रमायुक्त, दरभंगा	-	-	-	-	10000	10000
उप श्रमायुक्त, कृ०श्र० भागलपुर	457300	337900	6400	801600	-	801600
सहायक श्रमायुक्त कृ०श्र०, पटना	1238700	690600	2800	1932100	-	1932100
सहायक श्रमायुक्त कृ०श्र०, दरभंगा	600000	498000	2000	1100000	-	1100000
कुल योग	2353000	1576000	13500	3942500	10000	3952500

प्रस्वावित आवंटन कुल ₹ 39,52,500/- (₹ उनचालीस लाख बावन हजार पाँच सौ) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-253/वि० दिनांक-11.03.14, पत्रांक-687/वि० दिनांक-24.07.14 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. योग वेतन एवं भत्ते में आवंटित राशि से वेतन विपत्रों की निकासी की जायेगी ।
5. यह आवंटन गैर योजना मद के स्थायी स्थापना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार चौधरी)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक 6/बी3-102/2014 श्र0सं0-

101

पटना, दिनांक

17-3-15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार चौधरी)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक 6/बी3-102/2014 श्र0सं0-

10)

पटना, दिनांक

17-3-15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/ आई.टी. मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(अजय कुमार चौधरी)

श्रमायुक्त, बिहार ।

16/3/15